कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

हर्बल पार्क में पार्किंग स्थल की नीलामी पाने के लिए **स्वर्णिम अवसर**

नीलामी की तिथिः— 21.06.2018		समय—12:00 बजे अपरान्ह		स्थानः— प्राधिकरण कार्यालय सभागार कांठ रोड मुरादाबाद।
क्र सं	ठेके का नाम	वित्तीय वर्ष 2018—19 न्यूनतम आरक्षित मूल्य	जमानत धनराशि	निविदा मूल्य + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01-	नया मुरादाबाद योजना के अन्तर्गत सेक्टर—09 में हर्बल पार्क में पार्किंग स्थल की नीलामी व प्रवेश शुल्क	50,000/—	25,000/—	590/—

नियम व शर्तेः— 01—नीलामी से एक दिन पूर्व दिनांक 20.06.2018 को ड्राफ्ट जमा कर टोकन प्राप्त करना होगा।

02— ठेके की अवधि कब्जा प्राप्त होने की तिथि से वित्तीय वर्ष 2018—19 की दिनांक 31.03.2019 तक के लिए होगी।

03— बोलीदाता पर पिछली कोई बकाया धनराशि नही होनी चाहियें।

04— बोलीदाता/ठेकेदार ठेके को चलाने से सम्बन्धित समस्त व्यय अपने स्तर से स्वंय वहन करेगा व्यय धनराशि को ठेके की धनराशि में सम्मिलित नही किया जायेगा।

05— पार्किंग हेतु निर्धारित स्थल पर अन्य किसी प्रकार का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाना प्रतिबंधित होगा।

06— पार्किंग हेतु स्थल पर खड़े किये जाने वाले वाहनों के पर्किंग शुल्क की वसूली निम्नलिखित निर्धारित दरो के अनुसार की जायेगी, जो 04 घण्टों की दर से क्रमश निम्नवत् होगी।

साईकिल	— रू0 5.00
मोटरसाईकिल/स्कूटर	— रू0 10.00
कार/अन्य हल्के वाहन	— रू0 20.00
पार्क में प्रवेश शुल्क	— रू0 5.00

07— पार्किंग स्थल पर ठेकेदार द्वारा जो भी वाहन आदि खड़े किये जायेंगे उनकी सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

08—पार्क में प्रवेश के लिए 15 वर्ष की आयु से अधिक पर प्रवेश शुल्क देय होगा।

09— यह नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद द्वारा निर्धारित जमानत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद के पक्ष में जमा करना होगा। ठेका स्वीकृत होने की दशा में जमानत धनराशि ठेके की धनराशि में समायोजित कर ली जोयगी और अस्वीकृत की दशा में वापस कर दी जोयगी।

10— यह कि बोलीदाता सम्बन्धित ठेके के लिये बोली लगायेगा तब प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोलीदाता की जमानत धनराशि तब तक वापिस नही की जायेगी जब तक की ठेके का अन्तिम निर्णय न हो जाये।

11— यह कि ठेका स्वीकृत की दशा में सर्वोच्च बोलीदाता की बोली उपाध्यक्ष महोदया द्वारा स्वीकृत के उपरान्त 07 दिवस में ठेके की सम्पूर्ण धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी। प्रत्येक बोलीदाता को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वर्तमान में जारी चरित्र प्रमाण पत्र तथा मूल निवास या निवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व पहचान पत्र लागाना अनिवार्य होगा।

12—ठेके की समयावधि में प्राकृतिक आपदा, कर्फ्यू शहरबन्द आदि अन्य किसी प्रकार की आपदा से ठेकेदार को होने वाली हानि की जिम्मेदारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की नही होगी।

13—यह कि जिला प्रशासन तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद आधिकारी/स्टाफ के वाहनों से कोई पार्किंग शुल्क की वसूली निषेध होगी।

14— ठेके के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार का कोई अतिरिक्त कर यदि ठेके पर आरोपित किया जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

15— उपरोक्त के अतिरिक्त किसी वाद/विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगी।

16— बोलीदाता को आयकर की धारा—206 (सी) के अन्तर्गत 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 का शुल्क अलग से देय होगी।

(कनक त्रिपाठी)
आई.ए.एस.
उपाध्यक्ष